पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन का समापन समारोह में माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन

आज पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन सम्पन्न होने जा रहा है। राजस्थान की राजधानी में आज यह 83वां सम्मेलन नई ऊर्जा से, नए संकल्प से, नए निर्णयों के साथ सम्पन्न हुआ।

सम्मेलन में हमने कई विषयों पर चर्चा की, संवाद किया, विचारों का आदान-प्रदान किया और अलग-अलग विधान सभाओं ने जो नवाचार किए, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, उनको भी साझा किया, ताकि उससे अन्य विधान सभाओं को भी नवाचार करने की प्रेरणा मिले। सम्मेलन के अंदर जी-20 पर भी चर्चा हुई।

भारत का सौभाग्य है कि जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और जी-20 की अध्यक्षता के साथ भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने एक नई दिशा दी है - हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की, वसुधैव कुटुम्बकम् की । इसलिए हम अपने देश ही नहीं, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और पूरे विश्व में शान्ति हो, स्थिरता हो, समृद्धि हो, इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें।

उसके साथ-साथ, लोकतंत्र की जननी भारत है और किस तरीके से प्राचीनतम समय में भी हमने लोकतंत्र के माध्यम से सबके विकास और सबके कल्याण की भावना से काम किया और आज़ादी के 75 वर्षों के अंदर, आज जब हम 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। इस 'अमृत महोत्सव' के समय भी, अपनी 75 वर्षों की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक, आर्थिक विकास करके, आज दुनिया के अंदर भारत का नया उदय हो रहा है।

यह हमारे सभी उन नेताओं का प्रयास है, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रयास है, जिन्होंने समय-समय पर सदनों में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया।

हमारी कोशिश रहती है कि सदनों में जो भी विषय आते हैं, उन विषयों पर लंबी चर्चा हो, संवाद हो, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम आदमी की आवाज पहुंचे, ताकि हर कल्याणकारी योजनाओं की जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, जनता की भागीदार हो और कार्यपालिका पर नियंत्रण हो। यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशेषता रही है।

मुझे आशा है कि इसी तरीके का काम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन इस समय जी-20 का मौका है तो हमें फिर से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता पड़ रही है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं आदर्श बनें। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत की जननी है।

जब तक भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत नहीं होगा और इन संस्थाओं के माध्यम से हम समाज के आर्थिक, सामाजिक कल्याण के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें फिर से विचार-विमर्श करना पड़ेगा।

इसलिए जयपुर की बैठक में चर्चा हुई कि हम निश्चित फैसलों और निर्णयों पर जाएं, हमारी संस्थाएं एक आदर्श संस्थाएं रहें, दुनिया हमारी संस्थाओं से मार्गदर्शन ले, प्रेरणा ले। दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को देखने आएं, चर्चा, सवांदों, विचारों, सिस्टम और नवाचारों को देखने आएं। इसलिए व्यापक रूप से बड़े स्तर पर सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव दिए।

मुझे आशा है कि जो सुझाव आए हैं, जो निर्णय हुए हैं, जो फैसले हुए हैं, उन निर्णयों और फैसलों पर सभी राजनीतिक दल हमें सहयोग करेंगे, ताकि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, जवाबदेह बना सकें, कार्यपालिका पर निगरानी कर सकें और एक पारदर्शी शासन, प्रशासन आए। इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद, अच्छी डिबेट, सारगर्भित चर्चा होगी, उतना ही हम पारदर्शी और जवाबदेह शासन ला पाएंगे।

इसलिए हमारे कुछ विचार आए हैं कि हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा हो, आचरण कैसा हो। हमारी उच्च कोटि की मर्यादा रही है, परम्पराएं रही हैं। उन उच्च कोटि की मर्यादा और परम्पराओं का हम पालन करें। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन डिस्टर्बेंस न हो।

चाहे किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, देश में हो, आज हमारी और सभी विधायी संस्थाओं की एक चिंता है कि नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, वैल में आना, डिस्टर्बेंस करना, यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सभी लोकतांत्रिक विधायी संस्थाएं अपने यहां बेहतर कानून बनाने का काम करेंगी।

हर विधान सभा को अपने-अपने नियम, कानून और प्रक्रिया बनाने की स्वायत्तता है। अगर हमें लैण्डमार्क करना है कि सौ साल के अंदर भारत का लोकतंत्र किस दिशा की ओर जाए तो हमें हर विधायी संस्थाओं के अंदर अपने नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं की पुन: समीक्षा करने की आवश्यकता है।

हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबके स्वायत्त होने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि सारे नियमों-प्रक्रियाओं में, राज्य के विधान सभाओं में और केन्द्रीय विधान मंडलों में एकरूपता आए। उनमें विशेष रूप से शालीनता, गरिमा, मर्यादा रहे।

कानून बनाते समय अच्छी चर्चा हो, लंबी डिबेट हो। विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों की चिंता है कि सरकार एक दिन पहले, एक घंटे पहले कानून लाती है। हम चाहते हैं कि कानून बने, उसके पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए। देश की जनता के कल्याण के लिए कानून बन रहा है तो जनप्रतिनिधि को जनता से संवाद करके उस कानून पर जितनी अच्छी चर्चा होगी, उतना ही बेहतर कानून बनेगा और उतना ही अधिक जनता का कल्याण होगा।

हर सरकार जनता के कल्याण के लिए कानून बनाती है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करें, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, लेकिन उस पर कम चर्चा होना, हम सभी के लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे आशा है कि सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग करेंगे।

सदनों के बैठकों की घटती संख्या के लिए भी हमारे माननीय अध्यक्षों ने चिंता की है कि लगातार विधान मंडलों के बैठकों की संख्या घटती जा रही है। उस पर भी चिंता प्रकट की गई है।

उसके साथ-साथ हमारी जो संसदीय समितियां हैं, उन संसदीय समितियों में दल से ऊपर उठ कर चर्चा होती है। वहां से अच्छी रिपोर्ट आती है। कई माननीय स्पीकरों ने कहा है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए।

डा. सी.पी. जोशी साहब ने वित्तीय सहायता के लिए लैंड मार्क की बात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं उन संसदीय समितियों में चर्चा के लिए एक सिलसिला शुरू करूंगा, तो शायद एक नई दिशा बनेगी। जो रिपोर्ट आएगी, उस पर चर्चा-संवाद होने लगेगा तो जवाबदेही तय होगी। शासन में पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका जवाबदेह होगी, तो लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। सभी राज्यों की विधान सभाओं में, अपने-अपने राज्य के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़े। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बढ़े।

देश की जनता, राज्य की जनता यह माने कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही हमें अधिकार भी मिलेगा और हमारा इन संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक कल्याण होगा। जितना अधिक संवाद-चर्चा में लोगों की भागीदारी होगी, लोगों की आस्था इन संस्थाओं के प्रति जितनी बढ़ेगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। इसलिए लोकतंत्र में सभी की सक्रिय भागीदारी बढ़े।

सी.पी. जोशी साहब ने कहा है कि लोकतांत्रिक एजुकेशन की आवश्यकता है। इसके लिए एक व्यापक अभियान चलेगा। नौजवानों और महिलाओं की इन संस्थाओं के प्रति सक्रिय भागीदारी बने। उनके इनपुट्स और सुझाव आएं। वे कानून बनते समय जनप्रतिनिधि को सुझाव दें। इन सभी बातों पर चर्चा हुई है।

विधायिका सर्वोच्च है। कानून बनाने का हमारा अधिकार है। न्यायपालिका को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इन सभी चीजों की चर्चा की है। हमने उस पर भी प्रस्ताव पारित किया है कि सभी को अपने क्षेत्राधिकार, मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि सभी संस्थाओं अपने-अपने प्राप्त अधिकारों से बेहतर काम कर सकें।

मैं, इस मौके पर पुन: विधान मंडल के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने दोनों दिन सम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाई।

श्री गुलाब चंद कटारिया जी, हरिवंश जी, सभी राजनीतिक दलों के माननीय विधायकों और माननीय सांसदों को, जिन्होंने विशेष रूप से, लगातार यहाँ पर बैठकर चर्चा-संवाद को सुना।

डॉ. हरिवंश जी ने सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं दीं। उन्होंने खुलकर अपने विचारों को भी व्यक्त किया और एक अच्छी दिशा देने का काम भी किया। विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं लोक सभा और राज्य सभा के महासचिवगण और सभी अधिकारीगण, राजस्थान विधान सभा के सभी कर्मचारीगण एवं राजस्थान सरकार के सभी एजेंसियों को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ।

मुझे आशा है कि मेरे राज्य में जैसा इंतज़ाम श्री सी.पी. जोशी जी ने किया, सभी विधान सभाओं के अध्यक्षगण यहाँ की स्मृति लेकर जाएंगे, नये संकल्प लेकर जाएंगे और आने वाले समय में, इस देश में, लोकतंत्र को और सशक्त करने के लिए काम करेंगे। दुनिया में लोकतंत्र की जननी भारत है। हम लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन करके दुनिया में भारत को अग्रिम देश बनाएंगे, हमें इस संकल्प के साथ जाना है।

——